राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार

बोर्ड के द्वारा औषधीय पौधों के संवर्धन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजनाएँ
संक्षिप्त ब्यौरा

क्षेत्रीय एवं सुगमता केन्द्र, उत्तर भारत-1,
राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय, आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान,
जोगिन्द्रनगर-175015, मंडी, हि०प्र०
संपर्क सूत्र: 01908222333, 9015170106

Website: www.rcfcnorth.in, Email: rcfcnorth@gmail.com

#आयुष ज़िन्दगी रहे खुश !!

क्षेत्रीय एवं सुगमता केन्द्र, उत्तर भारत-1
राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड

भारत एक विशाल देश है जहां विभिन्न जलवायु खंडो से इसे जैविक विविधता का एक समृद्ध भूभाग माना जाता है। इस जैविक विविधता के चलते यहा पर औषधीय पौधों की असंख्य प्रजातिया पाई जाती है जिनका उपयोग वैदिक काल से विभिन्न रोगों एवं व्याधियों के उपचार में किया जाता रहा है। आयुर्वेद में ऐसे औषधीय पौधों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया हैं। बढ़ती जनसंख्या व जागरूकता से औषधीय पौधों का देश विदेश में उपयोग बढ़ने से इन की दवाई निर्माण में मांग की बढ़ोतरी हो रही है। अधिकतर ऐसे पौधों का दोहन जंगलों से किया जा रहा है। मांग की आपूर्ति के लिए औषधीय पौधों का अधिक दोहन से इनकी उपलब्धि प्राकृतिक अवस्था में कम हो रही है तथा बहुत सी औषधीय पौधों की प्रजातियां दुर्लभ तथा विलुप्त होने की कगार पर आ गई हैं। ऐसी प्रजातियों को प्राकृतिक अवस्था में संरक्षण के लिए उचित पद उठाने की आवश्यकता है तथा साथ ही इनकी कृषि की भी आवश्यकता है ताकि ये औषध निर्माण में उपलब्ध की जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने 2000 में एक नीतिगत फैसले के अंतर्गत देश में औषधीय पौधों के संवर्धन के लिए भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया ।

बोर्ड द्वारा देश भर में जड़ी बूटियां की कृषि एवं संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए औषधीय पौधों की खेती, प्रसंस्करण, विनिर्माण और विपणन को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। इस क्षेत्र के जुड़े हुए हितधारकों एवं किसानों को विभिन्न योजनाओं द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश के विभिन्न जलवायु खंडों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुभव किया गया कि बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाएं तथा क्षेत्र विशेष के औषधीय पौधों का समग्र विकास किया जा सके। इसे ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा 2017 में देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना की गई। लगभग समान जलवायु वाले प्रदेशों को एक क्षेत्रीय केन्द्र में रखा गया। बोर्ड द्वारा देशभर में ऐसे सात केन्द्रों की स्थापना की गई तथा इन क्षेत्रीय केन्द्रों का नाम "क्षेत्रीय सुगमता केन्द्र"(Regional Cum Facilitation Centre) रखा गया। इसके अंतर्गत उतरी भारत के सात राज्यो के लिए जोगिंदरनगर में एक क्षेत्रीय केन्द्र का गठन किया गया जिनमे उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली प्रदेश रखे गए हैं। जोगिंदर नगर का क्षेत्रीय सुगमता केन्द्र, हि०प्र० सरकार के आयुष विभाग के अंतर्गत आर० आई० आई० एस० एम० जोगिंदर नगर में 2017 से काम कर रहा है। केन्द्र, क्षेत्र के किसानों एवं अन्य हितधारकों की आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत है तथा इसके के लिए औषधीय पौधों की खेती, संग्रह, मुल्य संवर्धन, उत्पाद विकास से लेकर विपणन तक एक संपूर्ण मुल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए कृतसंकल्प है।

Moringa oleifera (सहंजन, शिग्रु)

Picrorhiza kurrooa (कुटकी)

Withania somnifera (अश्वगंधा)

बोर्ड द्वारा निर्धारित मैनडेट

1. संबंधित क्षेत्र में औषधीय पौधों से संबंधित सभी मामलों के लिए वन स्टॉप शॉप (संग्रह खेती से लेकर विपणन तक की मूल्य श्रृंखला)।
2. एन०एम०पी०बी० अधिदेश को पूरा करने और इसे एक सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए सहायता प्रदान करना।
3. उत्तरी क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान गतिविधियाँ शुरू करना, स्थानीय हितधारकों/प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से प्राथमिक प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, विपणन सुविधाओं आदि की स्थापना में संलग्न होने की सुविधा एवं धन प्रदान करना।
4. उत्पादकों, संग्रहकर्ताओं सहित संबंधित हितधारकों के बीच प्रबंधकीय और तकनीकी कौशल विकसित करना और प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, सेमिनार आदि आयोजित करके रणनीतिक सहायता प्रदान करना।
5. जैविक खेती और पहले से विकसित कृषि तकनीकों के अनुकूलन/क्षेत्र परीक्षणों पर ध्यान देने के साथ क्षेत्र में औषधीय पौधों, विशेष रूप से लुप्तप्राय और उच्च मांग वाली प्रजातियों की कृषि प्रौद्योगिकी का विकास करना।
6. क्षेत्र विशिष्ट गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री का विकास और संबंधित मुद्दों को वैज्ञानिक रूप से देख रेख करना।
7. औषधीय पौधों/उपजों आदि की बिक्री की सुविधा, मांग-आपूर्ति संबन्धित मुद्दे आदि का समाधान करना और न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करके क्षेत्र में विपणन सुविधा के विकास के साथ-साथ प्रमुख प्रजातियों की मांग, बेची गई मात्रा और कीमत पर एक डेटाबेस विकसित करना।
8. औषधीय पौधों के संरक्षण, टिकाऊ खेती और प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रशिक्षण और अनुसंधान पर इनपुट प्रदान करना और उन गतिविधियों में राज्यों के वन एवं अन्य संबंधित विभागों को शामिल करना।
9. जंगली औषध प्रजातियों का कृषिकरण(Domestication) करना जिनकी क्षेत्र में स्थानिक मांग हैं और उनकी किस्मों का विकास करना।
10. संबंधित राज्यों में अच्छी कृषि पद्धतियों (जी०ए०पी०), अच्छी क्षेत्र संग्रह पद्धतियों (जी०एफ०सी०पी०) आदि पर पहल को आगे बढ़ाना और क्षेत्र की की प्रजाति विशिष्ट जी०ए०पी० और जी०एफ०सी०पी० विकसित करके प्रसार करना।
11. राज्यों में औषधीय पौधों के विभिन्न हितधारकों (एस०एम०पी०बी०), मिशन योजना की कार्यान्वयन एजेंसियां, अन्य संस्थान, और औषधीय पौधों के क्षेत्र के विकास में शामिल नागरिक संगठन) को एक साथ लाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना।
12. एनएमपीबी द्वारा पहचाने गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए और क्षेत्र विशिष्ट/मुद्दों की पहचान पर जोर देने के साथ योजना का व्यापक कवरेज देने के लिए क्षेत्र के विभिन्न संगठनों की सहायता करना।
13. प्रशिक्षण कार्यक्रम, अभिविन्यास सत्र आदि विकसित और कार्यान्वित करके संबंधित हितधारकों की क्षमता विकसित करना।
14. हितधारकों के लिए समय-समय पर कार्यशालाएं एवं परामर्श बैठकें इत्यादि आयोजित करना।
15. संबंधित राज्यों में विभिन्न संगठनों को एनएमपीबी द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की समीक्षा करना।
16. राज्यों में औषधीय पौधों के सभी संबंधित क्षेत्रों का डेटाबेस तैयार करके उसका रखरखाव करना और संबंधित क्षेत्र के विभिन्न राज्यों का एकीकृत डेटाबेस तैयार करना।
17. औषधीय पौधों के क्षेत्र में अनुसंधान निष्कर्षों/नई प्रौद्योगिकियों के प्रसार सहित क्षेत्र की प्रासंगिकता और औषधीय पौधों से संबंधित अन्य मामलों का चिन्हित अनुसंधान अध्ययन करना।
18. आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) के लिए रणनीति विकसित करें और आईईसी गतिविधियों को लागू करें।
19. एनएमपीबी द्वारा समर्थित गतिविधियों की सफलता की कहानियों का दस्तावेजीकरण और प्रसार करना।
20. केन्द्र की गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करना।

Center Sector Schemes of NMPB, Ministory of Ayush

(for more details please visit nmpb.nic.in or rcfcnorth.in)

S. No.	Component	Cost	Remarks
1.	In-situ conversation		
	A) Establishment of Medicinal Plants conservation and Development Areas (MPCDAs)	Rs. 20,000/- per hectare	100% Central Assistance
	B) Revisit and upgradation of MPCA	Rs. 5000/- per hectare	100% Assistance
	C) Assistance for mainstreaming Medicinal Plants in Management / Working Plans	Rs. 1.50 lakh per forest Division/Wildlife Division	100% Assistance
	D) In-situ resource augmentation	Cost norms of MOEF&CC under National Afforestation Programme	100% Assistance
2.	Ex- situ conservation		
	i) Ex-situ conversation	Cost norms of MOEF&CC under CSS National Afforestation Programme	As per as guidelines
3.	Eco Task Force for rehabilitation of critical medical plants habitats		
	Eco Task Force	Project Based	100% assistance to the eligible organization.
4.	Support to JFMC/Panchayats/Van Panchayats/SHGs		
	Value addition, dying, warehousing and augmenting marketing infrastructure etc.	Rs.15.00 lakhs per JFMC / Panchayats / Van panchayats / SHGs / BMCs	100% assistance per JFMC / Panchayats / Van / panchayats / SHGs / BMCs.
5.	Research, Technology Development and Quality Assurance		
	i) R&D Projects on theme areas	Project based	100% assistance for Govt. Institutions / PSUs, Govt. Aided Institutions etc. and Non-profit making Philanthropic Organizations and requisite expertise. 50% assistance for projects received from private sector organizations.

	ii) Network research projects involving two or more Institutions.	Project based	100% assistance for Govt. Institutions / PSUs, Govt. Aided Institutions etc. and Non-profit making Philanthropic Organizations and requisite expertise. 50% assistance for projects received from private sector organizations.
	iii) Raw drug repository of medical plants	Rs.10.00 crores for national raw drugs repository and Rs. 5.00 crores each for regional raw drug repositories.	100% assistance for Govt. Institutions / PSUs. For private organizations assistance would be decided by SFC in project mode.
	ESTABLISHING QUALITY STANDARDS AND CERTIFICATION and other interventions not specifically mentioned elsewhere.	Project based	100% assistance.
6.	Awareness Building, Exposure Visits, Education and Capacity Building of Stakeholders through IEC		
	Training and Capacity Building Programmes for field staff of Forest Dept, Institutions, Universities, Horticulture Dept. Agriculture Dept. Growers and Collectors	a) Rs. 2,000 per trainee(farmer)for a minimum of 2 days within the state. b) Rs. 5,000 per head for exposure visits to the other states.0 c)The expenditure on officers training with the state will be Rs. 5,000/- per officers and outside the State the cost would be restricted to Rs. 10,000 per officer (Travel cost will be additional)	100% Assistance 1.Travel cost will be limited to 3rd AC train fares per participants. However, for Govt. Servants it will be as per entitlement. 2. For places not connected by Rail, travel by availability modes will be permitted as approved by the PSC/SFC.
	Workshops/ Seminar / Arogya	a) Rs 1.00 lakhs for District level. b) Rs.2.00 lakhs for State level. c)Rs.3.00 lakhs for regional level. d)Rs. 5.00 lakhs for National level. e) Rs.10.00 lakhs for international level.	100% assistance.

	Participation in exhibition/ fair	For participation by other Agencies. a) Rs. 1.00 lakh for State level. b) Rs.2.00 lakhs for National level. c) Rs.3.00 lakhs for international level.	100% assistance for Govt. organizations. For Private organizations including industries 50% of the prescribe cost or actual expenditure which is less (which include expenditure on Travel accommodation, Hire charge stall fabrication, etc.) will be reimbursed. Participation by NMPB will as per the actuals.
7.	PROMOTION OF HERBAL GARDENS		
	Herbal Gardens of State and National Importance.	As per the project proposal	100% assistance
	Institutions/Public Herbal Garden	a) Rs. 3.00 lakhs per hectare for establishment b) Annual maintenance of the Herbal Grden @upto Rs. 60,000/- per year per ha. for next four years.	100% assistance
	School Herbal Gardens	a) Rs 25,000/- per school for an area of 500 sqm. b) Up to Rs. 7,000/- per annum/ per school for maintenance for next 4 years.	100% assistance
	Management support	Up to 5% of the outlay under the scheme of NMPB.	This will include salary ad Admn. Expenses of NMPB incl. TE, OE, appointment of consultants for each component, monitoring, publicity, advertising etc.